न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 39/2016

निविदिता बनाम राज्य एवं अन्य

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत आंगनवाड़ी अपील अपीलार्थी निवेदिता द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० 8060/10 में दिनांक– 21.09.2010 को मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय द्वारा आंगनवाड़ी वाद संख्या– 42/2010 में दिनांक– 10.05.2014 को आदेश खारीज किये जाने के विरूद्ध क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में दाखिल किया गया है।

समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226 दिनांक– 11.08.2015 के निदेश कंडिका– 10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा से हस्तानान्तरित होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

अपीलार्थी का कहना है कि सौरबाजार प्रखण्ड के ग्राम पंचायत खजुरी के आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या–8 के सेविका पद के चयन से संबंधित है। उक्त केन्द्र के सेविका पद के चयन हेतु वर्ष 2007 में विज्ञापन निकाला गया, जिसके आलोक में आवेदिका एवं विपक्षी नीतु कुमारी अभ्यर्थी थी। दिनांक– 21.03.2007 को सेविका पद के चयन हेतु आम सभा का आयोजन किया गया। मेधा सूची क्रमांक– 1 पर आवेदिका का नाम मेधा सूची के क्रमांक– 2 पर विपक्षी नीतु कुमारी का नाम था। आम सभा द्वारा सर्व सम्मति से अपीलार्थी निवेदिता का चयन सेविका पद हेतु किया गया, किन्तु गलत व मनमाने रूप से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार द्वारा आम सभा के समक्ष कार्यवाही पंजी पर हस्ताक्षर नहीं किये व बाद में हस्ताक्षर करने की बात कहकर चले गये। आवेदिका के चयनोपरान्त अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से नामांकन पत्र वास्ते प्रशिक्षण निर्गत किया गया, किन्तु प्रशिक्ष्ज्ञण में न भेजकर विपक्षी द्वारा मनमाने रूप से मार्गदर्शिका के विपरीत दिनांक– 21.03.2007 के आम सभा को दरकिनार कर पुनः विज्ञापन निकाला गया व दिनांक– 23.04.2010 को हुए आम सभा द्वारा अनियमितताऐं कर विपक्षी संख्या– 5 का चयन गलत रूप से किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० 8060/10 दायर किया गया, जिसमें दिनांक– 21.09.2010 को आदेश पारित करते हुए 4 माह के अन्दर जिला पदाधिकारी, सहरसा संबंधित पक्षकार को सुनकर तार्किक व मुखर आदेश पारित करेंगे। आवेदिका द्वारा जिलाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 42/2010 दर्ज किया गया, जिसे लम्बे अन्तराल के बाद गैर तार्किक आदेश पारित करते हुए आवेदिका के बाद को खारीज कर दिया गया।

आवेदिका ने अपने लिखित आवेदन के माध्यम से कहा है कि सर्वप्रथम अपीलार्थी का चयन प्रथम आम सभ दिनांक– 21.05.2007 को पोषक क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ग बाहुल्य से सर्वाधिक मेधा अंक 77.44 प्रतिशत पाकर किया गया। जबकि, विपक्षी नीतु कुमारी का मेधा अंक 66.77 प्रतिशत है। इसलिए चयन से बंचित किया गया। सचिव एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षरयुक्त नामांकन पत्र दिया गया, किन्तु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के मनमानेपन के वजह से प्रशिक्षण में नहीं भेजा गया एवं पुनः नये सिरे से चयन प्रक्रिया हेतु विज्ञापन संख्या– 2008 निकाला गया, जिसमें अपीलार्थी फिर से आवेदन दाखिल कि तथा विपक्षी नीतु कुमारी भी आवेदन दिया जिसके अनुसार अपीलार्थी का मेधा अंक 77.44 प्रतिशत एवं विपक्षी नीतु कुमारी का मेधा अंक 71.77 प्रतिशत दर्शाया गया, किन्तु लम्बे अन्तराल तक चयन की कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए पुनः दिनांक– 27.08.2009 को ज्ञापांक– 112 से विज्ञापन निकाला गया। पुनः प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में दिनांक– 24.10.2009 को आवेदन दिया, परन्तु विपक्षी नीतु कुमारी कोई आवेदन नहीं किया फिर भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा विपक्षी नीतु कुमारी के पूर्व से दिए गए आवेदन के आलोक में मेधा सूची का प्रकाशन किया, जिसमें गलत रूप से प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद के संगीत 5वॉ वर्ष उत्तीर्ण स्नातक का 10 बोनस अंक के साथ पुनः मेधा सूची का प्रकाशन किया गया, जो बिल्कुल नियम के विरूद्ध व मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधान के विपरीत है, जिसका विरोध अपीलार्थी द्वारा किया गया कि विपक्षी नीतु कुमारी द्वारा स्वयं से नये विज्ञापन के आलोक में कोइ आवेदन नहीं किया है, किसी दिगर व्यक्ति द्वारा नीतु कुमारी का हस्ताक्षर कर शैक्षणिक योग्यता स्नातक दर्शाकर आवेदन विधि सम्मत होने के बाद लगाया गया है, जबकि स्नातक उर्त्तीणता का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, मात्र प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से पॉचवा वर्ष उर्त्तीणता का अंक लगाया गया। जबकि, संगीत प्रभाकर 6वॉ वर्ष उर्त्तीणता स्नातक के समक्ष है तथा यह भी दर्शाया की प्रयाग संगीत समिति, ईलाहाबाद द्वारा निर्णत प्रमाण पत्र पंचायत शिक्षक नियोजन के लिए मान्य

9.3.17

नहीं है। तदनुरूप मार्गदर्शिका की कंडिका– 4.1 के अनुसार सेविका चयन हेतु संगीत स्नातक की मान्यता नहीं है, बावजूद इसके गलत रूप से विपक्षी को लाभ पहुँचाने के उद्धेश्य से 10 अंक वेटेज देकर मेधा सूची का प्रकाशन कर दिया गया।

आवेदिका का आगे कहना है कि दिनांक– 23.04.2010 को चयन हेतु आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अपीलार्थी उपस्थित हुई, जब चयन समिति द्वारा गलत रूप से विपक्षी का चयन किया जाने लगा तब अपीलार्थी स्वयं बाल विकास परियाजना पदाधिकारी, सौरबाजार को आम सभा में दिनांक– 23.04.2010 को हीं आपत्ति आवेदन दी। बावजूद इसके आपत्ति निराकरण किये विपक्षी का गलत रूप से चयन कर दिए। उन्होंने आई0सी0डी0एस0 निदेशलय, पटना के निदेशक द्वारा निर्गत मार्गदर्शन के कंडिका– 18 के उप कंडिका–5 में वर्णित निदेश में पंचायत स्तर से प्राथमिक विद्यालय हेतु संविदा के आधार पर शिक्षकों के चयन हेतु जो शैक्षणिक संस्थाओं की मान्यता के संबंध में मानक निर्धारित है, उसे हीं सेविका के चयन में लागु माना जायेगा, के साथ अपीलार्थी ने विपक्षी नीतु कुमारी के गलत चयन को रद्द करते हुए अपीलार्थी का चयन करने का आदेश देने अनुरोध किये हैं।

प्रतिपक्षी संख्या–5 नीतु कुमारी का कहना है कि प्रस्तुत वाद इसी न्यायालय के आंगनवाड़ी वाद संख्या– 42/10 में अन्तिम आदेश पारित होने के विरूद्ध यह वाद दायर किया गया है, जो नियम के विरूद्ध हैं। प्रस्तुत वाद मूल रूप में सक्षम पदाधिकारी के न्यायालय में दायर नहीं रहने के कारण विचार योग्य नहीं है तथा कालबाधित है। अग्रतर प्रतिपक्षी ने कहा है कि आवेदिका द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय में दायर रीट याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 8066/2010 में कहा गया है कि केन्द्र संख्या– 12 के आंगनवाड़ी सेविका के चयन हेतु दिनांक– 21.03.2007 की आम सभा के आधार पर मुखिया द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत है। नियुक्ति के बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा आवेदिका को प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा गया। प्रतिपक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवेदिका का कोई मामला जिलाधिकारी के न्यायालय में लंबित नहीं था और इस तरह आवेदिका के गलत बयानी के आधार पर आवेदिका का दिनांक– 28.10.2010 का आवेदन खारीज योग्य हैं। आवेदिका ने अपने हीं आवेदन में स्वीकार किया है कि आवेदिका के चयन को न तो रदद् किया गया है और न हीं समाप्त किया गया है। मार्गदर्शिका की धारा– 5{क} में स्पष्ट है कि चयन समिति में उल्लेखित सात सदस्यों में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य है, जो दिनांक– 21.03.2007 की आम सभा में उपस्थित नहीं थी। अग्रतर यह भी कहा गया कि जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक 667–2 दिनांक– 15.07.2011 द्वारा निर्गत जांच प्रतिवेदन में प्रतिपक्षी का चयन नियमानुकूल प्रतिवेदित है। दिनांक– 23.04.2010 की आम सभा में आवेदिका की अनुपस्थिति के कारण भी आवेदिका का आवेदन खारीज योग्य है। आवेदिका द्वारा दाखिल रीट याचिका में उल्लेखित तथ्यों पर दिनांक– 14.03.201 को प्रतिपक्षी द्वारा दाखिल कारण पृच्छा के अतिरिक्त आवेदिका ने दिनांक– 25.04.2011 को प्रतिपक्षी को नये विवादों के साथ आवेदन दाखिल किया है, जो न्यायोचित नहीं है। आवेदिका द्वारा यह कहना कि श्रीमति नीतु कुमारी के द्वारा दाखिल स्नातक का शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है। क्योंकि, पॉच वर्षीय कोर्स प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद द्वारा निर्गत दर्शाया गया है। उक्त डिग्री की जॉच जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक 190–2 सदिनांक– 11.02.2011 द्वारा रजिस्टार, प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से कराया गया एवं सत्यापन प्रतिवेदन पत्रांक– 3985 दिनांक– 11.07.201 द्वारा प्राप्त है, जो सही है। इससे प्रमाणित होता है कि नीतु कुमारी का चयन वैद्य है। अपीलार्थी प्रस्तुत अपील वाद में सही–सही बिषय वस्तु अपने अपील याचिका में अभिकथन नहीं किया है, बल्कि भ्रमिक करने के लिए नए बिन्दुओं को आधार बनाया है, जिसे सुनवाई में स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं तथा इस न्यायालय में सुनवाई के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसी न्यायालय में आदेश पारित हुआ है और नियमानुसार क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी के न्यायालय में भी प्रस्तुत अपील वाद की सुनवाई क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, जिसे अपीलार्थी द्वारा छिपाया गया है । इस आधार पर प्रस्तुत अपील वाद खारीज करने योग्य हैं।

सुना, चूँकि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा गुण दोषों पर विचार करते हुए आदेश पारित किया जा चुका है। अतः पुनः विचार इस न्यायालय में नहीं किया जा सकता है।

अतः अपील वाद अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 437-2 / विधि, सहरसा, दिनांक– 10-3-17 .

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

10/3/17
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
10-3-17